न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

मैनाश मीना बनाम अरपंच / हनील

मु.नं. 02/25 किस्म – अपील

12/09/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.10.25 को पेश हो।

10.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। तहसीलदार बैजूपाडा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

28/11/25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।

12.12.2025 अभिभाषकों द्वारा अभिभाषक संघ चुनाव 2025 के मद्देनजर न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। – पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.01.26 को पेश हो।

16.01.26 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट वकील ने अपील पर बहस हेतु निवेदन किया। अपील पर अपीलान्ट वकील की बहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

कैलाश .... बनाम .... सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत

मु.नं.– 02/25 किस्म – अपील

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बैजूपाडा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हुक्म बनाम अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मु.नं.–

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2025	01.05.2025	16.01.2026

बउनवान

कैलाश बैरवा पुत्र स्व. रामसुखा बैरवा, निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी प्लॉट नं. ए 191, खसरा सं. 28/13, मांगे राम पार्क, पुथ कला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली।

..अपीलांट

बनाम

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत निहालपुरा, तहसील बसवा (हाल बैजूपाडा), जिला दौसा राज.।

..रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री शिवदत्त जैमिनी
2. रेस्पोन्डेन्ट – स्वयं।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 133 दिनांक 23.09.1981

ग्राम पंचायत निहालपुरा तहसील बसवा (हाल बैजूपाडा)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि निर्णय मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत निहालपुरा का दिनाँक 23.09.1981 विधि विरूद्ध एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बसवा (हाल बैजूपाडा) जिला दौसा में कब्जे काश्त की पैतृक संयुक्त आराजी भूमि खाता संख्या नया 96 के खसरा सं. 116 रकबा 0.5100 हैक्टे. स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थनापत्र में हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि रही है जो कि अपीलान्ट को अपने पिता स्वर्गीय रामसुखा से विरासत में प्राप्त हुई तथा स्वर्गीय रामसुखा को उनके पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत निहालपुरा ने अपीलान्ट का नाम कैलाश पुत्र रामसुखा के स्थान पर घर का बोलता नाम प्रहलाद दर्ज कर दिया और उक्त नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्ट का नाम निर्णय दिनांक 23.09.1981 को कैलाश के स्थान पर प्रहलाद कर दिया जबकि अपीलान्ट के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड पहचान पत्र, पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली, राशनकार्ड, जाति प्रमाणपत्र मूल निवास आदि में कैलाश ही दर्ज है जो सही है। इसलिए अपीलान्ट न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि विवादित आराजी अपील हाजा जो कि अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई है, में सहवन से निर्णय जेरे अपील दिनांक 23.09.1981 में दर्ज किया गया घर के नाम प्रहलाद को हज़फ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम कैलाश पुत्र स्व. रामसुखा दर्ज फरमाया जावे जो सही है, को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत निहालपुरा ने ध्यान न देकर भारी कानूनी गलती की है। इसलिए निर्णय जेरे अपील मातहत ग्राम पंचायत निहालपुरा दिनांक 23.09.1981 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता रामसुखा का स्वर्गवास दिनांक 11.04.1980 को ही हो चुका है। अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता की मृत्यु के समय अपीलान्ट अल्प आयु का था तथा परिवार के किसी सदस्य ने अपीलान्ट का नाम कैलाश के स्थान पर घर का बोलता नाम प्रहलाद दर्ज करवा दिया। अब अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में दुरूस्त कर कैलाश दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिए बगैर नामान्तकरण पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपने घर के नाम प्रहलाद का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की जानकारी पूर्व में नहीं रही है। अपीलान्ट को अपने घर का नाम प्रहलाद दर्ज की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब अपीलान्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमाबंदी की नकल दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलान्ट को अपने घर के नाम प्रहलाद का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं रही है। जानकारी होते ही बिना किसी प्रकार की देरी किये अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विवादित आराजी ग्राम निहालपुरा, तहसील बसवा (हाल बैजूपाडा), जिला दौसा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस और अर्ज किये जावेगें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय नामान्तकरण मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत निहालपुरा तहसील बसवा (हाल बैजूपाडा) जिला दौसा दिनांक 23.09.1981 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का सही नाम कैलाश पुत्र स्व. रामसुखा दर्ज करने का आदेश फरमाया न्यायहित में है। अन्य दादरसी जो अपीलान्ट के हक में है और अता फरमाई जाने की कृपा करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट एवं तहसीलदार बैजूपाडा को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट ग्राम पंचायत निहालपुरा तहसील बैजूपाडा द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट का घर में बोलता नाम प्रहलाद के स्थान पर रिकॉर्डेड नाम कैलाश पुत्र रामसुखा दर्ज कर दिया जाता है तों रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – ग्राम पंचायत निहालपुरा का जवाब अपील दिनांक 03.07.2025, ग्राम पंचायत निहालपुरा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 133 आदेश दिनांक 23.09.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत निहालपुरा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 133 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत निहालपुरा द्वारा रामसुखा पुत्र मांग्या के फौत होने पर उसके वारिसान प्रहलाद के नाम की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। ग्राम पंचायत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निहालपुरा के जवाब अपील अनुसार प्रहलाद के स्थान पर रिकॉर्डेड नाम कैलाश पुत्र रामसुखा दर्ज कर दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत निहालपुरा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 133 आदेश दिनांक 23.09.1981 में प्रहलाद पुत्र मांग्या का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 133 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी प्रहलाद पुत्र रामसुखा की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निहालपुरा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 133 आदेश दिनांक 23.09.1981 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी प्रहलाद पुत्र रामसुखा की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 133 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी प्रहलाद पुत्र रामसुखा के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)